न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1700

1. कमला देवी पत्नी श्रवण सिंह जाट, निवासी बुच्यासी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. मोहनलाल पुत्र दुलाराम, जाति जाट, निवासी बुच्यासी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
3. श्रवणसिंह पुत्र शिम्भूराम, जाति जाट, निवासी बुच्यासी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. नेमीचन्द पुत्र शिम्भूराम, जाति जाट, निवासी बुच्यासी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 154 ए/2025 बउनवानी सरकार बनाम अन्जू निर्णय दिनांक 16.07.2025 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री राजेश रूहेला अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 27.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 14.10.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 15.07.2025 को आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु पटवार मण्डल लिखमा का बास, तहसील दांतारामगढ़ के राजस्व ग्राम बुच्यासी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 213, 214, 212, 210 से होकर जाने वाला रास्ता जो मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में चालू है। उक्त प्रस्तावित रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित

किया गया कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस की निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत् राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किये जाने वगैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रखने तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2025 को पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 16.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर दिनांक 16.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के विपरीत एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित होने की वहज से निर्णय निरस्तनीय है। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीयान को कोई नोटिस न देकर अपना निर्णय पारित करने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की हैं। राज्य सरकार के पारित समस्त सर्कुलरों में चालू आम रास्तों को दर्ज करने के विषय में अंकन है व आराजी खसरा नम्बर 273 में पूर्व से आम रास्ता है। ग्राम बुच्यासी से श्रीरामचन्द्रपुरा में आने जाने का रिकार्डेड प्रचलित आम रास्ता खसरा नम्बर 214 व 254 के मध्य से होता हुआ खसरा नम्बर 271 व 214 के कोने से खसरा नम्बर 213 व 272 में होता हुआ आगे जाता है उक्त रास्ते में ग्रेवल सड़क बनी हुई थी जो काफी लम्बे समय से थी। जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व नक्शे से साबित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय निजामुदीन बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो 1991 आर.आर.डी. पेज 451 में उदरित है व उक्त निर्णय के अनुसार रास्ते की भूमि न तो आवंटन की जा सकती न उसे रेगुलाराईजेशन किया जा सकता न समाप्त किया जा सकता एवं इसे सिवायचक सरकारी भूमि माना गया हैं। उक्त खण्डपीठ का निर्णय पैरा 19, 24, 25, 29, 27 में स्पष्ट व्यवस्था की हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 273 के होते हुए नवीन रास्ता कायम करने व राज्य सरकार का उक्त रास्ते की भूमि जो बुच्यासी से श्रीरामचन्द्रपुरा जाता है पर लाखों रूपया खर्च हुआ है को समाप्त कर नवीन रास्ता कायम करने की आज्ञा प्रसारित करने व इस नवीन रास्ते को आम रास्ता मान कर निर्णय देने में सरासर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया गया हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 16.01.2024 को श्री गोविन्द सिंह भीचर उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ़ ने माननीय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र क्रमांक/पी.ए/2024/14 को दिया गया व उक्त पत्र को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की है व अपने पद का दुरूपयोग किया हैं। आराजी खसरा नम्बर 273 गैर मुमकिन रास्ते की ग्रेवल

सड़क जो राज्य सरकार के लाखों रूपये खर्च कर बनी हुई है को जेसीबी की मदद से रातों–रात उखाड़ दी गई व गैर मु० रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 273 पर खसरा नम्बर 213 व 214 व 272 के खातेदारों ने अपने खेतों में मिला लिया। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने नवीन रास्ता कायम करने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 132 एवं राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में भी व्यवस्था दी है।

यह निर्विवाद है आदेश पारित होने के पूर्व से उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ़ के दावेजात विचाराधीन है एवं अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत बेदखली के आदेश प्रसारित हुए व अतिक्रमियों के विरूद्ध पारित आदेश की अपील खारिज हो चुकी हैं। इसके अलावा स्वयं उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 16.01.2024 को सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित कर खसरा नम्बर 273 में ही सड़क निर्माण करने हेतु ठेकेदार को पाबन्द करने की आज्ञा प्रसारित कर दी गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की हैं। उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ़ श्रीगोविन्द सिंह जी भीचर का ट्रांसफर होने पर नवीन उपखण्ड अधिकारी जी मोनिका जी सामोर के समक्ष पटवारी हल्का नवीन रिपोर्ट करते है दिनांक 15.07.2025 को तहसीलदार जी पटवारी हल्का की रिपोर्ट को अकाट्य प्रमाण मानकर स्वयं द्वारा कोई मौका देखे बिना अपनी अभिशंषा करते है जो सरासर गलत थी कि जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी गिरदावर व तहसीलदार जी के कोई बयान न लेकर अपना निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय हैं। उक्त अपील को आक्षेपित आदेश की जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है लेकिन फिर भी उक्त अपील को पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिये अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ़ जो पत्रावली संख्या 154 "ए"/2025 में निर्णय दिनांक 16.07.2025 को पारित किया है, को निरस्त किया जाकर रिकार्डेड गैर मुमकिन रास्ते खसरा नम्बर 273 पर जिन–जिन ने अतिक्रमण कर अपने खेतों में मिला लिये है उससे उन्हे बेदखल करने एवं ग्रेवल सड़क को नष्ट करने के कारण राज्य सरकार को जो क्षति कारित हुई है को उनसे वसूल हेतु राज्य सरकार को लिखा जावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को

अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 06.10.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 15.07.2025 को पटवार मण्डल लिखमा का बास, तहसील दांतारामगढ़ के राजस्व ग्राम बुच्यासी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 213, 214, 212, 210 से होकर जाने वाले रास्ते को जो मौके पर सार्वजनिक उपयोग व आवागमन के रूप में आ रहे चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने एवं उक्त प्रस्तावित रास्ते को गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज करवाने हेतु सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया गया कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस की प्रस्तावित खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत् राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रखने तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2025 को पारित किये गये हैं। उक्त विवादित भूमि ग्राम बुच्यासी, पटवार हल्का लिखमा का बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाय, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के पुराना खाता संख्या 55, नया खाता संख्या 87, कुल खसरे 15 में 60 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से मात्र खसरा नम्बर 210 के 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलान्ट्स द्वारा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कर अपील पेश की गई है। शेष खातेदारान द्वारा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। पटवारी हल्का लिखमा का बास द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2025 में मौके पर खसरा नम्बर 213 की उत्तरी सीमा खसरा नम्बर 212 की पूर्वी सीमा, खसरा नम्बर 210 की पूर्वी सीमा, खसरा नम्बर 214 की पश्चिमी सीमा के सहारे नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित लाल स्याही अनुसार ग्रेवल सड़क डली हुई है, जो वर्तमान में चालू रास्ता है। उपरोक्त रास्ता ग्राम बुच्यासी से ग्राम श्रीरामपुरा जाने वाले रास्ते के खसरा नम्बर 273 में मिलता है। उपरोक्त प्रदर्शित लाल स्याही का रास्ता कटान हेतु कुछ खातेदार सहमत है तथा कुछ खातेदार सहमत नही है अंकित किया गया है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में सरपंच ग्राम पंचायत लिखमा का बास एवं उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर सहमति स्वरूप करवाये गये है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दांतारामगढ़, जिला सीकर के दीवानी विविध संख्या 17/24 उनवानी गोपाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 19.03.2024 को प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी प्रस्तावित विवादित रास्ते पर ग्रेवल सड़क होना बताया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता उपलब्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का लिखमा का बास की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर